न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **43 / 2017** अपील (राजस्व)

श्रीमती पुरीबाई पत्नि स्व. श्री नारायण डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री विजय साहु पिता श्री रामचन्द्र साहु, निवासी नलवाया चौक, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)
2. श्री देवीलाल पिता कन्ना डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर(राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव नामान्तरकरण संख्या 2213 दिनांक 05.07.17 राजस्व ग्राम शोभागपुरा

उपस्थित : श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—11.01.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शोभागपुरा, पटवार हल्का शोभागपुरा, तहसील बड़गॉव में आराजी संख्या 943 रकबा 0.1200 हैक्टर व आराजी संख्या 1470 / 929 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि स्थित हैं। जो अपीलान्ट की मौरूसी भूमि होकर अपीलान्ट का हक हिस्सा उक्त भूमि में निहीत हैं। इस भूमि के संबंध में एक घोषणा का वाद न्यायालय उपजिलाधीश गिर्वा के न्यायालय में चल रहा हैं। जिसमें दिनांक 01.09.14 से स्थगन जारी हैं व भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के खाते में दर्ज थी व रेस्पोडेंट संख्या 2 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा नशा करवाकर धोखे से उक्त भूमि का बिकाव करवाकर नामान्तरकरण दिनांक 05.07.17 को अपने नाम करवा लिया। व रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा 8 माह पूर्व नशे व धोखे से करायी गई रजिस्ट्री के आधार पर बगैर पक्षकारो को सुचना दिये व न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जारी स्थगन को दरकिनार रखते हुए

रेस्पोडेंट के नाम नामान्तरकरण खोल लिया। जबकि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से ही स्थगन आदेश जारी हैं। व स्थगन जारी होने की दशा में दौराने वाद कार्यवाही जो नामान्तरकरण खोला वह विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण जो नामान्तरकरण खुला वह नल एण्ड वोईड हैं।

उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर अपीलान्ट के पति के पूर्वाधिकारीयो के समय की हैं तथा पक्षकारो के राईट टाईटल नियमित वाद में ही तय होने हैं। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन प्रभावी रहते हुए विक्रय किया गया है जो लीस पेण्डेंसी सिद्धांत के अन्तर्गत आता हैं। ऐसी स्थिति में कथित विक्रय पत्र प्रारम्भतः अवैध होकर शुन्य हैं। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को भी बिना सुने ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। अपीलान्ट को दिनांक 16.08.17 को कथित नामान्तरकरण की जानकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में पेशी की दिनांक होने से सम्पूर्ण स्थिति का ज्ञान कर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील जानकारी के अन्दर मियाद पेश की गई। जिसे स्वीकार फरमाते हुए अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 2213 दिनांक 05.07.17 राजस्व ग्राम शोभागपुरा, तहसील बड़गॉव को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं इसके पश्चावर्ती नामान्तरकरण भी निरस्त फरमाये जावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध दिनांक 02.01.18 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली हैं।

उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में वाद विचाराधीन होते हुए तस्दीक किया हैं। साथही विचाराधीन वाद में न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर रेकर्ड व मौके की यथास्थिति के होते हुए नामान्तरकरण फैसल किया गया हैं। स्थगन के दौरान खोला गया नामान्तरकरण नल एण्ड वोईड हैं। ऐसे नामान्तरकरण को देखा नहीं जा सकता हैं। कानुनी दृष्टि से नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के ससुर कन्ना की थी। जो उसके पास उनके पूर्वाधिकारीयो से आयी थी। अपीलान्ट कन्ना द्वारा अपने दूसरे पुत्र देवीलाल रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में उक्त भूमि की बक्षीस कर दी थी। जबकि अपीलान्ट कन्ना जी के मृतक पुत्र नारायणजी की पत्नि हैं। वादग्रस्त भुमि मौरूसी

होने से अपीलान्ट का भी हक हिस्सा हैं और भूमि के संबंध में नियमित वाद व स्थगन सक्षम न्यायालय में जैर पेंण्डिंग हैं। ऐसी स्थिति में लीस पेंडेंसी का सिद्धांत लागु होता हैं। इस प्रकार अवैध विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई हित अधिकार पैदा नहीं होते हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही काबिल निरस्त के हैं। अपनी बहस की ताईद में डब्ल्यू एल सी (राज) 2007 (5) पेज 423 का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद के लम्बित रहते उसी सम्पत्ति के विक्रय पत्र का निष्पादन (विक्रय शुन्य) तथा विक्रय पत्र के रद्धकरण के लिये वाद आवश्यक नहीं हैं। साथही उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 68/14 प्रार्थना पत्र अनवानी मु. रामाबाई बनाम कन्ना के फर्द अहकाम की छायाप्रति दिनांक 01.09.14 से दिनांक 20.09.17 तक की प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण में दर्ज आराजीयातो के संबंध में वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। जहॉ से प्रकरण में दिनांक 01.09.14 को वादग्रस्त आराजीयात पर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा प्रदान कर रखी हैं। प्रकरण में स्वयं तहसीलदार बड़गॉव भी पक्षकार हैं। संलग्न अपीलीय नामान्तरकरण के अवलोकन करने पर जाहीर आता है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को जरिये विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 23.12.16 को विक्रय कर दिया गया। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.17 को नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा भी संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार आगे विक्रय कर दी। न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 2 भी विपक्षी संख्या 2 के रूप में संयोजित हैं। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 भी बाधित था। उसके उपरान्त भी उसके द्वारा न्यायालय आदेश की अनुपालना नही कर वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया गया और उस विक्रय पत्र से खोले जाने वाले नामान्तरकरण भी कानुनन गलत हैं। खोला गया नामान्तरकरण न्यायालय में विचाराधीन वाद व स्थगन के बावजुद खोला गया हैं। जो खारीज योग्य हैं और इस नामान्तरकरण के पश्चावर्ति भी खोले गये नामान्तरकरण को भी स्वतः ही लीस पेंडेंसी सिद्धांत से खारीज योग्य हैं। प्रकरण में विक्रय पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित करवाया गया नामान्तरकरण भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की आपस में दुरभीसंधी प्रतित होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा पारित ग्राम शोभागपुरा के नामान्तरकरण संख्या 2213 दिनांक 05.07.17 को निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गॉव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर